प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2026**

विषयः- सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना (चतुर्थ पुनरीक्षित) परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या-2237/4700/187/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 30.01.2026 एवं शासनादेश संख्या-95/2025/ 001/298/25-27-सिं-9-49एसएवी/08टीसी-4, दिनांक 07.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-319/2025/001/879/25-27-सिं-9-49एसएवी/08टीसी-4, दिनांक 16.06.2025 एवं शासनादेश 432/2025/001/1249(1)/25-27-सिं-9-49एसएवी/08टीसी-4, दिनांक 27.08.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना (चतुर्थ पुनरीक्षित)** की अनुमोदित लागत रू0 10184.93 करोड़ के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-94 के लेखाशीर्षक-4700-17-051-10-14-24 हेतु प्राविधनित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से धनराशि रू0 3,73,07,000.00 (रूपये तीन करोड़ तिहत्तर लाख सात हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का बकाया केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(10) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाएगा ।

(11) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/ 75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कीजायेगी।

(12) उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि पर विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

(13) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) प्रशासकीय विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(15) परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-177/2017/4106/17-27-सिं-9-49एसएवी/08टीसी, दिनांक 21-12-2017 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,73,07,000.00 (रूपये तीन करोड़ तिहत्तर लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**94-**लेखा शीर्षक-**4700170511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार वत्स

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(4) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) मुख्य अभियन्ता(बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता(सरयू परियोजना-प्रथम)/(द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या/गोण्डा।

(7) अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

(10) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

जगराम यादव

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in